

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 235/आर 327/09/बी-1/2009

भोपाल, दिनांक 29/03/2010

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
नर्मदा घाटी विकास, जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण
विकास विभाग तथा आवास एवं पर्यावरण (राजधानी परियोजना) विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

विषय - निर्माण कार्य विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के वेतन/भत्तों से
संबंधित देयकों का कोषालय के माध्यम से आहरण।

संदर्भ - वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 2336/चार/ब-1/99 दिनांक 19 नवंबर, 1999

-00-

उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप द्वारा निर्माण कार्य विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों
के वेतन भत्ते से संबंधित देयकों के कोषालय से आहरण निर्देश दिये गये हैं।

2. अतः कार्यभारित/आकस्मिकता मद के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, भत्तों
आदि के देयकों का भुगतान अन्य सभी शासकीय कर्मचारियों की भांति दिनांक 1 अप्रैल,
2010 से कोषालय के माध्यम से किये जायें।

इसके परिणामस्वरूप कार्यभारित/आकस्मिकता ^{कतः} मद के अन्तर्गत 1.4.2010 से
निर्माण विभागों की आहरण व्यवस्था (WDDE) से आहरण नहीं किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 29/03/2010

प क्रमांक 286/आर 327/09/बी-1/2009
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश, भोपाल, कृपया यह सुनिश्चित करें कि शीर्ष
#11-002 की राशि निर्माण विभागों की आहरण व्यवस्था (WDDE) के अन्तर्गत
आहरण के लिए आवंटित न की जाकर कोषालय के माध्यम से ही आहरित की
जाये। इस हेतु सर्वसंबंधित कोषालय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रसारित
किये जायें।
2. समस्त कलेक्टर/कोषालय अधिकारी म0प्र0
3. समस्त बजट शाखाएँ, वित्त विभाग
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग